For Websites

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था
पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–5

क्रमांक–एफ–2/रा.रा.बी..जै.उ.प्र.स./संस्थापना/09/1403–09 जयपुर, दिनांक 04.06.09

(नियुक्ति हेतु विज्ञापन)

राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था में सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक योग्यताधारी अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

क्र.सं.	पद का नाम		वर्ग				कुल पद
		लिंग	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	
1.	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	पुरूष	05	02	02	03	12
		महिला	02	0	0	0	02
						कुल रिक्तियाँ	14

उक्त पदों की संख्या मे संस्था द्वारा कभी भी कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है तथा आरक्षण राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा। उपरोक्त सभी पद अस्थाई है, लेकिन स्थायी होने की संभावना हैं।

2. **न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :–**

विधि सम्मत किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एससी वनस्पति विज्ञान/कृषि वनस्पति/पौध प्रजनन एवं आनुवांशिकी/पौध कार्यिकी/बीज प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री

3. **सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पदों हेतु न्यूनतम आयु दिनांक 01.08.09 को 21 वर्ष प्राप्त कर लेनी चाहिये एवं 35 वर्ष की आयु प्राप्त नही करनी चाहिए। विभिन्न वर्गो हेतु अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार होगी :–**

(अ) सामान्य वर्ग की महिला – 5 वर्ष

(ब) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के पुरूष – 5 वर्ष

(स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग की महिला – 10 वर्ष

(द) भूतपूर्व सैनिक – 50 वर्ष तक की आयु तक आवेदन कर सकते है।

(य) कर्मचारी (राज्य सरकार के) – 40 वर्ष की आयु तक

आयु की गणना 01 अगस्त 2009 को की जायेगी।

4. <u>पारिश्रमिक / वेतन :–</u> चयनित व्यक्तियों को 2 वर्ष की परिवीक्षा पर प्रशिक्षण हेतु रखा जावेगा जिसके दौरान के नियमानुसार रू. 13050 / – प्रतिमाह मानदेय भत्ता देय होगा। उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता देय नही होगा। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने पर नियमानुसार वेतन श्रृखला रू0 9300–34800 एवं ग्रेड पे 4200(13) मे वेतन निर्धारित किया जायेगा।

5. <u>**चयन प्रक्रिया :–**</u> अभ्यर्थियों का चयन लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा। लिखित परीक्षा हेतु पाठयक्रम कृषि विभाग की वेबसाइट ***www.rajasthankrishi.gov.in*** अथवा संस्था मुख्यालय से कार्य दिवस में रूम न0 337 से प्राप्त किया जा सकता हैं।

6. <u>आवेदन शुल्क :–</u> आवेदन शुल्क हेतु निम्नलिखित मूल्य का डिमान्ड ड्राफ्ट ''**राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था,**'' के नाम केवल जयपुर में देय हो, संलग्न करना आवश्यक है :–

	<u>अभ्यर्थी वर्ग</u>	<u>रू.</u>
अ)	सामान्य	600 / –
ब)	ओबीसी / अनुसूचित जाति / जनजाति (केवल राजस्थान प्रदे ा के)	300 / –

राजस्थान प्रदेश के बाहर के आरक्षित वर्ग के अन्य अभ्यर्थी सामान्य वर्ग में माने जायेंगे व उनके द्वारा रू 600 / – का निर्धारित शुल्क ही देय होगा, आवेदन शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं लौटाया जायेगा।

राजस्थान की अन्य पिछड़ी जाति की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इस वर्ग हेतु आरक्षित वर्ग का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे आवेदक को सामान्य अभ्यर्थी के रूप में माना जावेगा। ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ी जाति की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में उपरोक्तानुसार आवेदन कर सकते है।

7. <u>जाति प्रमाण पत्र :–</u> राजस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के केवल वे प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जो पत्र प्राप्ति आवेदन की अन्तिम तिथि से अधिकतम छः माह पूर्व जारी किये गये हों। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम / निवास स्थान एंव आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

8. <u>अन्तिम तिथि :–</u> आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर आवश्यक प्रमाण पत्रों एवं निर्धारित शुल्क सहित <u>दिनांक 31.07.2009</u> (सांय 5.00 बजे) तक निदेशक, राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, पंत कृषि भवन, जनपथ जयपुर–05 के कार्यालय में आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहिये। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम स्पष्ट अंकित करें। अपूर्ण एवं निर्धारित तिथी के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

9. <u>आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :–</u> (कृपया निम्न क्रम में ही संलग्न करें)

(ए) सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अंक तालिका व प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, की सत्यापित प्रतिलिपि।

(बी) हायर/सीनियर सैकण्ड्री/स्नातक/स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष योग्यता से संबंधित अंकतालिका/उपाधि का प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका की सत्यापित प्रतिलिपियाँ। अंको के स्थान पर ग्रेडिंग दिये जाने पर ग्रेडिंग का फार्मूला भी स्पष्टतः अंकित करें।

(सी) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

(डी) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो।

(ई) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र।

(एफ) मूल–निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।

(जी) विवाहित उम्मीदवारों के लिए दिनांक 1.6.2002 के पश्चात् बच्चों की संख्या में वृद्वि होकर दो बच्चों से अधिक न होने का शपथ –पत्र (चयन होने की स्थिति में शपथ पत्र का सत्यापन कराया जावेगा।)

(एच) वांच्छित आवेदन शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न करना आवश्यक है।

(आई) स्वयं के पते लिखे दो लिफाफे (पांच–पांच रूपये के डाक टिकट चस्पा कर) संलग्न करें।

यह विज्ञप्ति एंव आवेदन पत्र का प्रारूप व पाठयक्रम कृषि विभाग की वैब साईट ***www.rajasthankrishi.gov.in*** पर भी उपलब्ध है।

10. आवेदन पत्र के प्रारूप को ।.4 आकार के कागज पर टाईप करवाकर प्रयोग में लिया जावे ।

निदेशक

क्रमांक–एफ–2/रा.रा.बी..जै.उ.प्र.स./संस्थापना/09/1403–09 जयपुर, दिनांक 04.06.09

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–</u>

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि /शासन उप सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ।

2 निजी सचिव, आयुक्त, कृषि विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।

3 निजी सचिव, आयुक्त डी.पी.आर., राजस्थान सरकार, जयपुर को राज्य सरकार की वेब–साइट पर अपलोड करने हेतु।

4 निदेशक, प्रादेशिक रोजगार कार्यालय,राम मन्दिर जयपुर,।

5 निदेशक, विश्वविधालय परिसर, रोजगार कार्यालय जयपुर,।

6 निदेशक, महिला रोजगार कार्यालय जयपुर,।

7 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर,कृषि निदेशालय जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विज्ञापन विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावे।

निदेशक